

कार्यालय : प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून
आदेश संख्या : प्रा.शि.-दो(2) / नं ६७ / ३६२ / २०१७-१८ दिनांक : १५ फरवरी, २०१८

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७ कार्मिक अनुभाग-२ दिनांक ०६ फरवरी, २०१८ द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम, २०१७ (संख्या-०१ वर्ष २०१८) के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रथानान्तरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कार्मिकों का पदभास्तु वार्गीकरण, सुगम एवं दुरुपास रथलों का विनापन आदि हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर मानक तय करने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार समिति का गठन किया जाता है :

०१	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
०२	श्री भूषेन्द्र सिंह नेगी	संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
०३	श्री अम्बादत्त बलोदी	संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड	सदस्य
०४	श्री नरवीर सिंह बिष्ट	उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड	सदस्य
०५	श्री बृजपाल सिंह राठौर	उप निदेशक अधिकारी, नॉरसन हरिद्वार	सदस्य
०६	श्री हिमांशु नौगाँई	उप शिक्षा अधिकारी, भिवियासैंण अल्मोड़ा	सदस्य
०७	श्रीना	उप शिक्षा अधिकारी रुड़की हरिद्वार	सदस्य
०८	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	उप शिक्षा अधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल	सदस्य
०९	श्री मनीष बिष्ट	उप शिक्षा अधिकारी पाटी चम्पावत	सदस्य
१०	श्री मुकेश बहुगुणा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय विंशि.	सदस्य

उल्लिखित समिति उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम, २०१७ (संख्या-०१ वर्ष २०१८) में दिये थे प्राविधानों के अनुसार विभाग में शिक्षकों/कर्मचारियों के वार्षिक रथानान्तरण हेतु एक सप्ताह के अन्तर्गत रथलों के वर्गीकरण के लिए मानक प्रतावित करेगी ताकि यथासमय उक्त पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकें।

(आर. कृष्ण कुवर)
निदेशक

पृ.सं. : प्रा.शि.-दो(2)/२८९९५-२९००९/ ३६२ / २०१७-१८ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०१. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
०२. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
०३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
०४. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
०५. वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
०६. अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
०७. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, देहरादून।
०८. अपर निदेशक (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमार्यू मण्डल नैनीताल।
०९. समिति के नामित सदस्यों को अवगतार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१०. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड
११. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) उत्तराखण्ड।
१२. उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
१३. प्रभारी एम.आई.एस. विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उल्लिखित आदेश सहित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम, २०१७ (संख्या-०१ वर्ष २०१८) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
१४. कार्यालय पत्रावली/गार्ड फाइल।

(आर. कृष्ण कुवर)
निदेशक

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
- 2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
- 3— मण्डलायुक्त,
गढ़वाल, पौड़ी/कुमाऊं, नैनीताल,
उत्तराखण्ड।
- 4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: ०६ जनवरी, 2018

फॉलोअप

विषय—उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या—१वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्याधीन सेवाओं में (अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा तथा माठ उच्च न्यायालय के नियत्रणाधीन समस्त सेवाओं का छोड़कर) अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण को एक उचित निष्पक्ष वरतुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या ०१ वर्ष 2018) पारित किया गया है। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के स्तर पर स्थानान्तरण सत्र से पूर्व कठिपय तैयारियां की जानी आवश्यक हैं।

आतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियत्रणाधीन विभागों/कार्यालयों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या १ वर्ष 2018) के उपबंधों के अधीन स्थानान्तरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

1—कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरण:—(धारा—4)

विभाग के नियत्रणाधीन संवर्गों के कार्मिकों को निम्नवत् श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाय:—

1. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदरथापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किये जाने की व्यवस्था है।
2. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदरथापना मण्डल स्तर तक किये जाने की व्यवस्था है।
3. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदरथापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद रथापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

2—सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हाकन और उसका प्रकटीकरण:—(धारा—5)

(1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथारिति, उपरोक्त विन्दु—१ (कार्मिकों की पद रथापना हेतु वर्गीकरण) में उपबंधित वर्गीकरण के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से संबंधित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुए चिन्हाकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के

लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसे प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक होगा।

(2) प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जानी वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है वहाँ मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलेवार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिसमें जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र, जहाँ पर सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

(4) जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है, उनके लिए विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(5) परन्तु यह कि जो कार्य स्थल 7000 फिट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

3-वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे:- (धारा-6)

1. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
2. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
3. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

4-सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण:- (धारा-7)

ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम में रखते हुए संबंधित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में कुल रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिह्नित किया जायेगा।

5-सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करना तथा पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना:- (धारा- 9)

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिये दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की गणना करते हुए संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जायेगा। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्ति की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहाँ वह तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायें। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता कम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय।

6-दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण के मानक:- (धारा-10)

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी तैनाती के स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 3 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किये जायेंगे।

परन्तु यह कि अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7—दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु मानक एवं उपलब्ध तथा सम्भावित रिक्तियों की गणना करना/पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना:—(धारा—12)

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की गणना करते हुए संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जायेगा। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायें। सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्ति की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता कम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय।

8—अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण:—(धारा—13, 14, 17(1)(ख))

(1) अनुरोध प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिये अनुरोध मान्य नहीं होगा।

(2) सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा।

(3) अनुरोध के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड पर प्रदर्शित करते हुए, कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन—पत्र मँगे जायेंगे। कार्मिकों द्वारा विकल्प प्राथमिकता कम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

(4) पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर, स्थानान्तरण समिति निम्नलिखित क्रम में विचार करेगी:—

(एक) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागृ) की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो) मानसिक रूप से विक्षित एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध;

(तीन) सेवारत पति—पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो,

(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी, द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/ क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पाँच) विधवा,विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छ) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सात) अन्त में, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

9—स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारण:—(धारा—15)

स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी, ऐसे सभी कार्यालय/अधिकारियां, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है वहां पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।

10— सभी विभागों द्वारा शासनस्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन:—(धारा—16)

(1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक

अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

11—स्थानान्तरण समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाही:—(धारा—17)

(1) स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर अनुमन्य क्रम में विचार किया जायेगा। तत्पश्चात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरणों का निस्तारण किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगा:—

(1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;
(2) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर-प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। "गृह जनपद" से ऐसा गाँव/हल्का/ तहसील आदि अभिग्रह है, जिसका वह मूल निवासी है;

(3) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिकों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा;

(4) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधिक उन पर भी यथावत लागू होंगे।

12—स्थानान्तरण हेतु समय सारणी:—(धारा—23)

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत प्रत्येक सामान्य स्थानान्तरण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल के मानक के अनुसार 31 मार्च तक विन्हीकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन 1 अप्रैल तक कर लिया जाय। प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची 15 अप्रैल तक प्रकाशित/वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से 20 अप्रैल तक 10 इच्छित स्थानों के विकल्प मांगे जायेंगे। अनुरोध के आधार पर आवेदन आंमत्रित करने की तिथि 30 अप्रैल तक होगी। अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15 मई होगी तथा प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्र का विवरण 20 मई तक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि 25 मई से 05 जून तक होगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 10 जून होगी। स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 02 दिन के अन्दर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार संगत अधिनियम के कतिपय प्राविधिक एवं समयबद्धरूप से की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। शेष शर्तें एवं प्राविधिक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018) के अनुसार लागू होंगे। प्रत्येक विभाग के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु तथा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्व/वर्तमान तैनाती की सही स्थिति का ऑकलन करेंगे, क्योंकि इसी आधार पर पारदर्शी स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो

सकेगी। अधिनियम की प्रति संलग्न की जा रही है, जिसका अनुपालन प्रत्येक विभाग-द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न अधिनियम का भली-भाँति अध्ययन करते हुए प्रारम्भिक रूपरेखा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोक्त

भवद्वीय,
(ज्ञापन कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या: /XXX-2/2018-30(13)2007 तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2— वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रत्नाली)
प्रमुख सचिव

क्रम संख्या-10 (ग)

परीक्षण दस्ता-४०३०/१००००/१००००/३०/२०१०-२०२०

(प्राचीन राजनीतिक विभाग)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1. खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 ई०

पृष्ठ 15, 1830 राम सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/XXXVI(2)/2018/20(1)/2017

देहरादून, 06 जनवरी, 2018

अधिनियम

विभिन्न

'भारत का सविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के सिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017' पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदि के लिए एक उचित, मिशन, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्मारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड्डसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा विभासित रूप में अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' है।

- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- (3) यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य लिंगिल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा, उच्च व्यायामय को नियन्त्रणाधीन समस्त सेवाओं को छोड़ते राज्य सभी राज्याधीन सेवाओं को लिए लागू होगी और हरे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम, परिवद् तथा स्थानीय निकायों पर भी लागू कर सकेगी।

अव्यायोगी प्रकार 2. यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमों में विवरी भारत के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिनामार्थ 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

- (अ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
- (ब) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड की राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (घ) 'गन्धीर देगी' से गन्धीर दीग से ग्रस्त कार्मिक की पति/पत्नी एवं परिवार (जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं नारा-पिता)

और गम्भीर रोगों के अव्याहत फैसले, लड़ कीतर, एडम/एक्टोआईडी (पोजिटिव), हृदय रोग (बाय पास सर्जरी अव्याहत इंजियोस्कोप्स्ट्री किया गया हो), किडनी रोग (दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर, किडनी ट्रांसप्लान्ट किया गया हो अव्याहत एक किडनी निकाली गयी हो), दयूवर बुलोशिस (दोनों छेकड़े, संकमित हो अव्याहत एक फेफड़ा पूर्णतः चराव हो), स्पाईन की इहड़ी दृटने सार्स (थर्ड स्टेज), मिर्गी, मानसिक रोग अव्याहत कोई अन्य ऐसा रोग, जिसके कारण कार्मिक की किसी कीव्र विशेष में सैनाती उचित न होने की संस्तुति राज्य बेडिकल बोर्ड द्वारा की गई हो, और जिसका अध्युक्तीवान अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित समिति द्वारा किया गया हो, सम्मिलित है।

(३) विकलांगता से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है, जिसमें पूर्ण अव्याहत, दोनों पाव रहित, एक अपूर्ण पाव, सकारा प्रस्ता (एक हाथ या एक पाव) अव्याहत विकलांगता के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत से अधिक विकलांगता सम्मिलित है।

(४) 'स्वाम प्राविकारी' का प्रमाण-पत्र से गम्भीर रोग के लिए अधिक्षम भारतीय आयुर्वेदान संस्कार, पोस्ट ग्रेपुरेट इस्टिट्यूट ऑफ बेडिकल स्कूल्सेज, राज्य बेडिकल बोर्ड, राज्य के अधिकृत बेडिकल संस्कार अव्याहत राज्य विकाससभा विभाग द्वारा राज्य/जनपद सरकार के निर्दिष्ट प्राविकारी/समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र तथा विकलांगता के लिए सम्बन्धित अधिनियम में दिए गए स्वाम प्राविकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(५) 'स्वचता प्रमाण-पत्र' से गम्भीर रोग अव्याहत विकलांगता की बेळी के कार्मिकों द्वारा उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विवरक बेडिकल बोर्ड/स्वाम प्राविकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(६) 'अधिक कार्मिक' से प्रत्येक वर्ष की आवार लिए ३१ वर्ष के जहाँ सेवानिवृत्ति की आयु ६० वर्ष वहाँ ५५ वर्ष तथा जहाँ सेवानिवृत्ति की आयु ६५ वर्ष वहाँ ६० वर्ष की आयु अव्याहत उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कार्मिक अभिप्रेत हैं।

(७) 'मृगन रक्षा दुर्गम क्षेत्र' से इस अधिनियम के अधीन जनपदवार

		परिसिद्धि-1, 2 एवं 3 के अनुसार उदाहरणार्थ विभिन्न दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र अधिकृत हैं।
	(अ) ऐनाती स्थान से कार्यिक के स्थानान्तरण हेतु विचार के समय उसकी ऐनाती का स्थान/स्थल अधिकृत है।	
कार्यिकों की 4.	पदस्थापना के लिए कार्यिकों की पदस्थापना हेतु विभागित क्षेत्रियों में वर्गीकृत किया जायेगा।	
पदस्थापना हेतु अर्थात्-		
इनीकरण	(1) ऐसे कार्यिक, जिनकी पदस्थापना जनपद नुख्यालय से ग्राम स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है;	
	(2) ऐसे कार्यिक, जिनकी पदस्थापना नगर तक किए जाने की व्यवस्था है;	
	(3) ऐसे कार्यिक, जिनकी पदस्थापना शाजमाही होती है तथा उनकी पदस्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष हास्रा की जाती है।	
सुगम एवं दुर्गम 5.	(1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यात्रारिति, पारा 4 में उपलिखित वर्गीकरण के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य स्थल को स्वयं करते हुए विभागित की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के लिए उत्तराखण्ड की वैक्साइड में प्रदर्शन सहित ऐसी समृद्धि कार्यवाही करेगा, जैसा प्रकाशन एवं व्यापक घोषणा-प्रसार के लिए आवश्यक हो।	
स्थलों का विनायकन और उसका प्रकटीकरण	(2) ऐसे विभाग, जिनके सभी कार्यस्थल अधिनियम के परिसिद्धियों ने विभागित भानकानुसार अवधा उपर्युक्त उप पारा (1) के अनुसार अपने विभाग की विशिष्ट परिसिद्धियों के दृष्टिगत अधिनियम की पारा 27 के अनावृत गठित समिति के सभी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भानकों का पुनर्नियारण कर सकेंगे।	
कार्यिक 6.	कार्यिक स्थानान्तरण के विभागित प्रकार होंगे; अर्थात् -	
स्थानान्तरण के प्रकार	(अ) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण;	
	(ब) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण; और	
	(ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।	
सुगम क्षेत्र से 7.	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न भानक होंगे।	
दुर्गम क्षेत्र में	अर्थात् -	

- अनिवार्य स्थानान्तरण के अधिकारी** (क) ऐसे कार्यक्रम, जो सुगम केंद्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर ०४ वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात है, दुर्गम केंद्र में उपलब्ध एवं दारा १० के अधीन संघाधित विकासों की कुल संख्या की सीमा के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे।
- (ख) ऐसे कार्यक्रम, जो सुगम केंद्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर ०४ वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम केंद्र में तैनाती १० वर्ष से अधिक है, उन्हें भी सुगम केंद्र से दुर्गम केंद्र में उपरोक्तानुसार विकितों/पदों की उपलब्धता के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे।
- एवं न्यूनतम दारा ३ में निर्दिष्ट परिसिद्धि के अनुसार सुगम केंद्र की परिवाचन के परन्तुक का भी संझान लिया जायेगा।
- (ग) सुगम केंद्र से दुर्गम केंद्र में स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्यक्रमों को दुर्गम केंद्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम केंद्र में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनके दुर्गम स्थान से अवक्षुल होने की तिथि का स्पष्ट उत्तरेत एवंके स्थानान्तरण आदेश में भी किया जायेगा।
- (घ) निम्न व्यक्तियों में आने 'वाले कार्यक्रमों को सुगम केंद्र से दुर्गम केंद्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छुट होगी; अवधि :-
- (इ) वारिच कार्यक्रम,
- (दो) ऐसे कार्यक्रम, जो दुर्गम केंद्र में पूर्व में ही न्यूनतम १० वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और
- (तीन) दारा ३ के अधीन गव्यार रूप से रोगप्रस्त/विकलांगता की देखी में आने वाले कार्यक्रम, जो कि स्थान प्राविकारी का प्रयाग-पत्र प्रस्तुत करे।
- (चार) ऐसे पति-पत्नी जिनका एकसीता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिकाचा में सम्बिलित हो।
- (पाँच) लैनिक रुपा अवैसेनिक वहीं में तैनात कार्यक्रमों की पति/पत्नी।
- सुगम केंद्र से दुर्गम केंद्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नका होगी; अवधि :-
- सुगम स्थान से दुर्गम स्थान में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित

संवर्ग में दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अधिकि में सुगम क्षेत्र में की गयी बुल सेवा की अवधि के छान में की जायेगी, अर्थात् ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तीनाती की अवधि ०५ वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में बुल सेवा १० वर्ष से अधिक हो चुकी हो तथा जो 'छूट' की ओरी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तीनाती के अनुसार अवरोही छान (Descending Order) में रखते हुए सम्बन्धित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु घिन्नित किया जायेगा।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम १.
क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी।
क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार होने के पश्चात् ऐसी सूची, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा सूची के कार्मिकों की संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित/परिचालित करते हुए पात्र कार्मिकों से अधिकतम १० दुर्गम स्थानों, जहाँ वे तीनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प भागे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राप्तिकरण छान में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की विवसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम १०.
क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए अनुकूल होंगे,

अवधार्ता :-
(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी पर्याप्त तीनाती के स्थान पर ०३ वर्ष या उससे अधिक अवधि से तीनाती कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा ;

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर ०३ वर्ष से कम अवधि से कर्मसुत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तीनाती १० वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किए जाएंगे। ऐसी गणना करने के लिए याता ३ में निहिट परिसीढ़ी में दुर्गम क्षेत्र की परिवाहा के परन्तुक का भी संक्षेप लिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस अधिकारी की गणना करते समय केवल वही अधिकारी ही जायेगी, जिसमें कार्यिक पारतात्त्विक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्रवात रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अधिकारी तथा एक वर्ष में एक बाहर से अधिक अधिकारी के लिए अधिकार पर रहा हो तो इस अधिकारी को दुर्गम स्थान की तैनाती की अधिकारी में सम्बद्धित नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की ११. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकाराम सीमा अधिकारी की जायेगी। अर्थात् :-

(अ) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बद्धित संदर्भ में सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा ७ के अधीन समावित रिहितयों की कुल संख्या की सीमा तक ही किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्यिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अधिकारी में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अधिकारी के छम में की जायेगी। अर्थात् :-

(ब) ऐसे कार्यिकों को, जो दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर ०३ वर्ष से अधिक अधिकारी से कार्रवात है अथवा सम्पूर्ण सेवा अधिकारी में उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती १० वर्ष से अधिक है, को उनकी सम्पूर्ण सेवा अधिकारी में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अधिकारी के अनुसार अवरोही छम (Descending Order) में रखते हुए संदर्भ में उपरोक्तानुसार दुर्गम क्षेत्र में रिहितयों की उपलब्धता की सीमा तक ही अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्यिकों की सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची, सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिहितयों तथा कार्यिकों की सम्बद्धित रिहितयों को प्रकाशित/परिचालित करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्यिकों से अधिकाराम १० इक्किछा स्थानों के लिए विकल्प बांगे जाएंगे। कार्यिक हारा विकल्प प्राप्तिकरण छम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्यिकों की सूची तथा रिहितयों को उत्तराखण्ड की डेवेलपमेंट पर वी प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुरोध के आधार १२. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए विनाश प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अर्थात् :-

- (1) सुगम केंद्र से दुर्गम केंद्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्यिक आयोजन करने हेतु पात्र होंगा;
- (2) दुर्गम कार्यस्थल में घूमतम 03 वर्ष अवधा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम केंद्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम केंद्र से स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्यिक दुर्गम केंद्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा, किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उत्तर के गृह विकास खण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तीनाती के स्थल पर ऐसे कार्यिक की भविष्य में पुनः तीनाती 05 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।
- (3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति—पत्नी सुगम अवधा दुर्गम केंद्र में एक ही स्थान पर तीनाती हेतु इच्छुक हो तो वे तदनुसार सुगम अवधा दुर्गम केंद्र में एक स्थान पर तीनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तीनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अवधा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्पूर्णी भाग क पूर्ण करेंगे, तब पति—पत्नी, यथा लागू सामाजिक स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।
- (4) कार्यिक स्वयं अपनी अवधा पति/पत्नी (यथा लागू) यारा-3 के खण्ड (म) में व्याविधिक गम्भीर रोगप्रस्ताता/विकलांगता के आधार पर ऐचिक केंद्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आयोजन करने हेतु पात्र होंगे;
- (5) भाग्यसिक स्प से विजित अवधा ऐसे रोगप्रस्त वच्चे जो पूर्णतः भावार है तथा देखानाल/निरपक्षिया आदि के लिए पूर्णतः भावा—पिता पर निर्भर है, ऐसी दशा में उनके भावा—पिता ऐडिकल कोई के एतदविषयक प्रभाव—पत्र के आधार पर अपने वच्चे की विकिरण की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अवधा सुगम से दुर्गम केंद्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे; तथा
- (6) विवाद, विवृत, रक्षण व्यायालय के आदेश से घोषित परिचयकल एवं तत्सक्षणुदा तथा परिचय कार्यिक अनुरोध के आधार पर ऐचिक केंद्र में स्थानान्तरण हेतु आयोजन करने के पात्र होंगे।
टिप्पणी: अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आयोजन यारा 12 के अधीन प्रकाशित विकितयों के सामेज ही किया जा सकेगा और जरे दुए पदों/कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमत्य न होगा।

- अनुरोध के आधार 14.** उपलब्ध विकायों तथा सम्बाधित विकायों को सम्बाधित कार्यालयों द्वारा नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की बेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम द्वारा ऐसे अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन-पत्र मांगे जाएंगे। कार्यक्रम द्वारा विकल्प प्राधिकरण द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।
- स्थानान्तरण हेतु 15.** (1) स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 वर्ष की तिथि के आधार पर की जायेगी।
 (2) ऐसे सभी कार्यालय/अधिकारी, जहां पटस/कार्यकार परिवर्तन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां पटस/कार्यभर का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।
- स्थानान्तरण 16.** (1) कार्यक्रमों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु सांसन स्तर पर, विभागात्मक, मध्यवर्ती एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बाधित विभाग के अधिकारियों की असिरिक एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। सांसन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विभाग आयुक्त साकांतक, कृषि उत्पादन आयुक्त साकांतक तथा समाज कल्याण आयुक्त साकांतक को औद्योगिक अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्यक्रम विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त दोनों साकांतकों के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति ने साकांतक को किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामोकाम सम्बाधित साकांतक प्रमुख द्वारा किया जायेगा।
 (2) जनपद स्तरीय संवगी के कार्यक्रमों के प्रबन्ध के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।
 (3) कार्यक्रम स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन पत्र एवं विकल्प तथा दुर्गम एवं सुगम बोर्डों की रिक्तियों के विवरण सम्बाधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। उपरोक्त बारा 9, 12 एवं 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु प्राप्त कार्यक्रमों की सम्बाधित सूची भी स्थानान्तरण समिति के सम्बन्ध रखी जायेगी।
 (4) समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक कार्यक्रम, जिसका विवरण समिति के सम्बन्ध रखा गया है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में हिये नये उपबन्धों के आधार पर विचार करके कार्यकृत होयार करेगी,

जिसमें स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों के शिखित आवटित होने/करने का आधार यथा विकल्प, स्थाय के अनुसार, विकिस्ता, विकस्तीगता, चरित्र कार्मिक आदि स्पष्टत अकित किया जायेगा। सभिति अपने कार्यपूर्ति में एक अलग सूची में उन कार्मिकों के सम्बन्ध में भी कारब सहित उल्लेख करेगी, जिनका स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार तस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(b) स्थानान्तरण सभिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश स्थान प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेगे।

स्थानान्तरण सभिति 17. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर गठित स्थानान्तरण द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। —

(2) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अविवाद स्थानान्तरण :

किया जाना स्थानान्तरण सभिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अविवाद स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा; अर्थात् —

सर्वप्रथम स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा अवधि में सबसे अधिक अवधि व्यक्तीत करने वाले कार्मिक से प्रारम्भ किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र की रिक्ति के लिए कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प को स्वीकार किया जायेगा; अर्थात् —

सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम स्थान पर तीनांतर हो सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में एक-एक करके कार्मिकों पर विचार किया जायेगा और विकल्प के अनुसार उपलब्ध रिक्ति उन्हें आवटित की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि स्थानान्तरण हेतु शिखिता कार्मिकों में से एक से अधिक कार्मिकों ने दुर्गम क्षेत्र की विनियत किसी रिक्ति विकेव हेतु स्थान प्राधिकारिकता क्रम में विकल्प दिया है तो ऐसी रिक्ति विकल्प देने वाले कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक को आवटित की जायेगी, जिसमें सुगम क्षेत्र में सबसे कम अवधि की सेवा की हो;

परन्तु यह और कि यदि उक्तानुसार विचार करने के पश्चात भी कर्तिप्रय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार इच्छित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है अवशा ऐसा कोई कार्मिक है, जिसने विकल्प नहीं दिया है तो स्थानान्तरण सभिति द्वारा ऐसे अवशेष

कार्मिकों तथा अवरोध उपलब्ध विकलियों की सूची उनके बूल प्रक्रमन/विन्हीकरण के क्रमानुसार देयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार विकलियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिकित आवंटित कर दी जायेगी।

(अ) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :-

खण्ड (क) के अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा नियन्त्रित क्रम में दिया जायेगा :-

(एक)- गंभीर रूप से रोगप्रस्ता/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अद्यता पति/पत्नी (वधालाग) की गंभीर रोगप्रस्ता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो)- गंभीर रूप से विकिषण एवं साधारण बच्चों के भाता पिता द्वारा अनुरोध;

(ठीन)-सेवारता पति-पत्नी जिनका इकलीता पुत्र/पुत्री विकलांग हो;

(चार)-उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य बेटी के स्वतः/बेटे में तीनांकी हेतु अनुरोध;

(पाँच)-विवाह, विवृत, स्वाम न्यायालय के आदेश से घोषित परिस्वेष्टा, एवं सलाकमुदा कार्मिक तथा बरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छ)-दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/बेटे में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(पाँछ) अन्य से सुगम बेटे से दुर्गम बेटे में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(ग) दुर्गम बेटे से सुगम बेटे में अनिवार्य स्थानान्तरण :-

स्थानान्तरण समिति द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (छ) में उल्लिखित स्थानान्तरण पर दियार करने के पश्चात् दुर्गम बेटे से सुगम बेटे में अनिवार्य स्थानान्तरण को नियन्त्रण निस्तारित किया जायेगा :-

(एक) दुर्गम बेटे से सुगम बेटे में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अद्यति ने दुर्गम बेटे में की गयी बूल सेवा के अनुसार अधिकतम अद्यति के क्रम में सबसे अधिक अद्यति के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में सूचीबद्ध किया जायेगा;

(दो) उपर्युक्त के अनुसार दियार की गई सूची में से उत्तराखण्ड सरकार

की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को रिक्षित की विधति में ऐक्षिक स्थान आवंटित किया जायेगा;

(तीर्थ) सूची में से दुर्गम स्थान पर रीतात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्यक्रम से प्रारम्भ करते हुए रिक्षित की उपलब्धता के अनुसार ऐक्षिक स्थान आवंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य कार्यक्रमों के भी अवरोही क्रम (Descending Order) में ऐक्षिक स्थान रिक्षित उपलब्ध होने पर आवंटित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि सुगम बोत्र की किसी रिक्षित विशेष के लिए एक से अधिक कार्यक्रम द्वारा समान प्रावधिकरण क्रम में विकल्प दिया जाता है तो ऐसी रिक्षित ऐसे कार्यक्रम को आवंटित की जायेगी, जिसने दुर्गम बोत्र में सबसे अधिक सेवा की हो :

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्तानुसार विचार करने के पश्चात भी कठिनय ऐसे कार्यक्रम अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये विकल्प के अनुसार रिक्षित स्थान उपलब्ध न हो सके, तो स्थानान्तरण सभिति द्वारा अवशेष कार्यक्रमों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्षितयों की सूची उनके गूल प्रकाशन/विन्धीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्यक्रम को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्षितयों की सूची में समान क्रम में अकिञ्चित रिक्षित आवंटित कर दी जायेगी।

(२) स्थानान्तरण सभिति कार्यक्रम द्वारा स्थानान्तरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करते हुए निर्णय लेगी:-

(अ) समूह के एवं उन के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में रीतात नहीं किया जायेगा;

(ब) समूह ग के लिपिकीय एवं गैर-प्रशासकीय कार्यक्रमों तथा समूह घ के कार्यक्रमों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही रीतात किया जा सकेगा। “गृह जनपद” से ऐसा गौव/हल्का/ तहसील आदि अनिवार्य है, जिसका यह गूल निवासी है;

(ग) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्यक्रम को किसी भी दशा में पुनर उसी जनपद/स्थान पर ०५ वर्ष तक रीतात नहीं किया

जायेगा।

(४) सरकारी सेवकों के भाव्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव,

जिनमें जिला शासांओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा लगातार में पदपालित करने की तिथि से पद पर छोड़ने रहने अवधि ०२ तर्फ़ की अवधि, जो भी पहले हो, तब की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के तौर प्राप्तिकान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

(५) स्थानान्तरण संवर्गीय पद/कार्यस्थल के लिए ही किये जायेंगे तथा संवर्गों के बाहर (यथा जनपदीय/मण्डलीय संवर्गों के सदर्व में अनाजनपदीय/अन्तर्गण्डलीय) के पद/कार्यस्थल के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे।

परन्तु यह कि दो कार्यिकों के भव्य विवाह के आधार पर हिन्दी एक कार्यिक का ऐक्षिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अवधि विकास योजनाओं द्वारा परिसम्पत्ति अधिकार/दीर्घीय आपदा के कारण सासम द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्यिक का ऐक्षिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुभव्य होगा कि परिवर्तन/नये संवर्ग में कार्यिक को कलनिकात्मक माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन द्वारा २८ में गठित समिति का अनुगोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति/पदोन्नति १८.

तथा अन्य

स्थानान्तरण पर

तीनाती की प्रक्रिया

कार्यिक/सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरणों पर तीनाती की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(१) प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य कारण से दुर्गम होनी में तीनाती की जायेगी;

(२) पदोन्नति के समय अनिवार्य कारण से दुर्गम होनी में तीनाती द्वारा ७ के अन्दर (प) के प्रतिकानों के अधीन की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि दुर्गम होने में पदोन्नति का पद विद्युत्यन्/रिक्त नहीं है तो पदोन्नति के बाद सुगम होने में उपलब्ध रिहिट के सापेक्ष तीनात किया जा सकेगा;

(३) दो कार्यिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अवधि दुर्गम एवं दुर्गम अवधि सुगम एवं सुगम कार्यस्थल में) पर

स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे, जिसके लिए कोई यात्रा भरता अनुमत्य नहीं होगा तक सुगम कार्डिनलों में ही रीकाट दो कार्मिकों को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमत्य न होगा।

(4) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्ब्यवहार एवं कार्य में अविवादि भ सेने आदि को आवार पर जीव एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त, जहाँ स्थान प्रधिकारी का समावाहन हो जाय, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आवार पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे :

परन्तु यह कि प्रशासनिक आवार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आवार पर प्रेरित होकर अथवा आक्रियक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानान्तरणों के आवेदन—पत्र में प्रशासनिक आवार अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(5) उपरोक्त खण्ड (1) से (4) के अनुसार की जाने वाली रीकाट/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक् एवं विष्व अवधि में भी स्थान प्रधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे और इसके लिए प्रकारण को स्थानान्तरण समिति के समक्ष से जाने की आवश्यकता नहीं होगी ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आवार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर स्थान प्रधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुबोधन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

दुर्गम बोत्र ने 10.

रीकाट प्रोन्नति के
लिए अनिवार्यता

(1) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिए यह आवश्यक होगा कि चूनराम अहंकारी सेवा का चूनराम आदा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यक्ति किया गया हो ;

(2) इस अविनियम के सामूह होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संकलनकाल भानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आदा भाग दुर्गम स्थान पर व्यक्ति नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी लिखार किया जायेगा, जब यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक यह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर रीकाट रहेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कार्मिक यदि द्वारा 7 के खण्ड (5) से आड़ादित होता हो तो उसे दुर्गम बोत्र में रीकाट किए प्राप्त अवधा बंधपत्र देने की आवश्यता न होगी ;

परन्तु यह और कि यदि प्रथम पदोन्नति के समय बंधपत्र देकर दुर्गम

लेत्र में तीनात होने वाला कार्यिक बंधपत्र अनुसार निर्दिष्ट अवधि दुर्गम लेत्र में पूर्ण कर सेने के उपरान्त हितीय पदोन्नति हेतु कुल अईकारी सेवा पूर्ण कर सेता है तो ऐसे कार्यिक के लिए हितीय पदोन्नति प्राप्त करने हेतु हितीय पदोन्नति के लिए कुल अईकारी सेवा की भी जारी अवधि दुर्गम लेत्र में सेवा की अनियायीता सम्बन्धी प्राप्तियान वाप्तकारी नहीं होगा, अर्थात् प्रथम बंधपत्र की अवधि के उपरान्त ऐसा कार्यिक दुर्गम लेत्र में, जितनी भी सेवा करने के उपरान्त हितीय पदोन्नति हेतु अन्य भानक पूर्ण करता हो तो उसे हितीय पदोन्नति हेतु पात्र माना जायेगा :

- (3) प्रथम एवं हितीय प्रोन्नति हेतु दुर्गम लेत्र में चूनतम् अईकारी सेवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 1.07.2020 से प्राप्तावी होगी तथा इस लिये से प्रोन्नति हेतु चूनतम् अईकारी सेवा का चूनतम् आवा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत करना अनियायी होगा, तभी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा नियन्तारियों ने उक्त आवश्य का प्राप्तियान असंग से किया जाएगा।
- (4) जो कार्यिक, अपने सेवा-काल में दुर्गम लेत्र में तीनात नहीं हो सके हैं, वे विविध में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए बारा 13 का खण्ड (1) के अनुसार दुर्गम लेत्र में अनुरोध के आवार एवं स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुर्गम लेत्रों में 20. तीनाती पर विवा जाने वाला अनुभव्य होगे ; अर्थात् :-

प्रोत्साहन

(अ) यदि कोई कार्यिक किसी एक कार्यस्थल पर तीनात है, जो 7000 फीट से ऊपरां ... पर स्थित दुर्गम स्थान पर तीनात है तो वहां पर 1 वर्ष की गई सेवा को 2 वर्ष के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

(ब) यदि कोई कार्यिक किसी एक कार्यस्थल पर तीनात है, जो 7000 फीट से ऊपरां की ऊपरां पर स्थित दुर्गम स्थान पर तीनात है तो वहां पर 1 वर्ष की गई सेवा को 1 वर्ष 3 माह के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

स्थानान्तरण के 21. (1) समूठ च के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की सत्सुति के आवार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूठ च के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की सत्सुति के आवार पर संबोधित दिपागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे,

परन्तु यह कि जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है, वहां समूठ च के

अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्थुति के आवार पर छासन हारा किए जायेंगे;

(2) समूह ग तथा घ के जनपद स्तरीय कार्यक्रम, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण ई० जनपद स्तर पर गठित समिति जिसका अधिकारी अवश्य उनके हारा नामित अधिकारी की अव्यक्तता में द्वारा भी गयी संस्थुति के आवार पर नियुक्ति प्राप्तिकारी हारा किये जायेंगे;

(3) स्थानान्तरण ई० द्वारा 23 मे उत्तिलित समय-सारिनी के अनुसार इगित लिये हो परवान् समूह का तथा समूह ख के अधिकारियों के स्थानान्तरण नुखानी के अनुबोदन से किये जा सकेंगे तथा समूह ग तथा समूह घ के कार्यक्रमों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण ई० अधिकृत समय स्तर से एक स्तर ऊपर के अधिकारी हारा किये जायेंगे।

स्थानान्तरित
कार्यक्रमों को
अव्युक्त किया जाना

22

- (1) स्थानान्तरण आदेश मे यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि दे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अनुकूल तिथि/एक तत्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यवार प्राप्त कर लै। सम्बन्धित प्राप्तिकारी स्थानान्तरित कार्यक्रमों को तदनुसार तत्काल अव्युक्त करेंगे। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोविकारी को भी प्रेषित की जायेगी ताकि दे स्थानान्तरित कार्यक्रम के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन परवान् उसका वेतन आँखिरि न करे। अव्युक्त होने वाले कार्यक्रम नियमानुसार अनुगम्य कार्यवार प्राप्त अवधि (joining time) का उपयोग नव तिथाती के पद का कार्यवार प्राप्त करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अव्युक्ति के उपरान्त वाच्र अनुगम्य यात्रा अवधि (journey time) का ही उपयोग कर सकेंगे;
- (2) स्थानान्तरित कार्यक्रमों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्यक्रमों के हारा नव तिथाती के स्थान पर कार्यवार प्राप्त न करने पर उनके विकल्प धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित कार्यक्रम हारा स्थानान्तरण आदेश मे विद्यान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण ई० स्थानान्तरण आदेश विर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण होने वाले प्राप्तिकारी से एक स्तर उच्च

अधिकारी को प्रत्यायेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सम्भाल के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मतभ्य प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यायेदन का निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु 23 अप्रैल तक सारिनी प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय-सारणी होगी; अर्थात्-

(1)	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का मानक के अनुसार अनिहिकरण की तिथि	31 नवंबर
(2)	सभी विभागों द्वारा सामन स्तर विभागाध्यक्ष स्तर, 01 अप्रैल मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना-	01 अप्रैल
(3)	प्रत्येक सर्वां के लिए सुगम/दुर्गम शेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्यिकों तथा उपलब्ध एवं संचालित रिकितियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना-	15 अप्रैल
(4)	अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्यिकों से जाविकातम 10 इकित्त स्थानों को लिए विकल्प भागे जाने की तिथि-	20 अप्रैल,
(5)	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि-	30 अप्रैल
(6)	उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि-	15 अप्रैल
(7)	प्राप्त विकल्पों/आवेदन-पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना-	20 अप्रैल
(8)	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सभान प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि-	25 नवंबर ते 05 जून
(9)	सभान प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अनिवार्य तिथि-	10 जून
(10)	निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना-	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अन्दर

(११) स्थानान्तरित कार्मिको के कार्यमुक्त होने की अनियंत्रित स्थानान्तरण तिथि-	आदेश निर्गत होने के ७ दिन के अन्दर
(१२) स्थानान्तरित कार्मिको के कार्यमुक्त प्राप्त करने की स्थानान्तरण अनियंत्रित तिथि-	आदेश निर्गत होने के १० दिन के अन्दर

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा

समय-सालिकी में आवश्यक परिवर्तन कर सकती।

स्थानान्तरण
रोकने के लिए
प्रत्यावैदन एवं
तिकारित तथा
अधिनियम के
उल्लंघन की
दरमा ने दंड

24. (१) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने नामा-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधियों से प्रत्यावैदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य स्पष्ट से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावैदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बंधित कार्मिक की व्यक्तिगत गोपनीय प्रतिक्रिया में भी इस आवश्यक को अंकित किया जायेगा;
- (२) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विस्तृद दबाव उल्लंघने का प्रयत्न करे, तो उसके इस सूच्य/आवश्यक को 'सरकारी कर्मचारी आवश्यक नियमावली' का उल्लंघन जानते हुए उसके विस्तृद 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अधीन) नियमावली, २००३ (समय-समय पर यथासंसोचित)' के संगत प्राविधिकों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी;
- (३) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उसका आदेश या निर्देश में विभिन्निक किया जाय, अनुपालन करने वे असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपदेशों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अधीन) नियमावली, २००३ (समय-समय पर यथासंसोचित)' के संगत प्राविधिकों के अधीन दण्डनीय होगा।

कार्यकार टिप्पणी २६.

स्थानान्तरण के लिए विभिन्न विधियों में से एक जो कार्यकार टिप्पणी का उल्लेख करता है, वह इसके लिए अधिकारी का उल्लेख करता है।

संगत नियमों का २८.

स्थानान्तरण

आदेशी में

उल्लिखित विधा

जाना

स्थानान्तरण के लिए जो के अधिकारी द्वारा कार्यकार से नुक्त होने से पूर्व उनके पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक कार्यकार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होता जिसकी एक प्रति गार्ड फाईस में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियमक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

इस अधिनियम के अनुसारण में किये जाने वाले 'स्थानान्तरण आदेश' में सम्बन्धित कार्यक्रम का किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराधिकार की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अधिनियम के २७.

क्रियान्वयन में

कठिनाई का

नियामण

(१) इस अधिनियम के प्रत्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अव्याप्तिक प्रभाव होगा :

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विस्तृत परिवर्तनियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधिक ने छोई परिवर्तन अपेक्षित हो अब वह कार्यक्रम में छोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अब वह कोई घूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/घूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य संविधें की अव्याप्ति में गठित समिति जिसमें :-

(२) अपर मुख्य संविध/प्रमुख संविध वन एवं अवस्थापना विकास जापुक्त,

(३) अपर मुख्य संविध/प्रमुख संविध कृषि उत्पादन जापुक्त;

(४) प्रमुख संविध, कार्यक्रम सदस्य होंगे, के सम्बन्ध में सम्बन्धित किये जायेंगे और इस समिति की संस्थापना पर मुख्यमंत्री के अनुमतेन के उपरान्त ही कार्यक्रम संविध/विचलन/घूट अनुचय्य होगा।

(२) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाई अव्याप्त अपर संविधित विवद, जो अधिनियम में सम्बन्धित नहीं है, के सम्बन्ध में उक्त समिति विचार करके अपनी संस्थापना मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगी, उसके उपरान्त राज्य सरकार यह आवश्यक नियम बना सकेंगी।

स्थानान्तरण से २९.

सम्बन्धित

इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज एवं समस्त अपेक्षित अव्याप्ति साक्षाती पूर्वक संकलित करते

परिचय-१

(देखिए वारा ३ का सच्च (अ))

जनपद सारीय रथल गिनकी तीनांती जनपद मुख्यालय से लेकर द्वाग रस्तर तक होती है के आधार पर सुगम एवं दुर्गम होत्र का मानक

प्रत्येक विभाग में जिला से सेकर याम रस्तर तक की जाने वाली तीनांती को लिए जिलाधिकारी की अधिकता में गठित समिति द्वारा विभाग एवं आवश्यकता को अनुसर सुगम एवं दुर्गम होत्रों का उन्नीकरण अधिनियम द्वारा दिये गये मानकों को अनुसार किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्ट-स्वत ७००० फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ १ दर्ज की तीनांती को २ दर्ज की द्वाग होत्र में तीनांती के सम्बन्ध माना जाएगा।

प्रत्येक विभाग में जिला से सेकर याम रस्तर तक की जाने वाली तीनांती को लिए जिलाधिकारी की अधिकता में गठित समिति द्वारा विभाग एवं आवश्यकता को अनुसर सुगम एवं दुर्गम होत्रों का उन्नीकरण अधिनियम द्वारा दिये गये मानकों को अनुसार किया जायेगा।

प्रत्येक विभाग में जिला से सेकर याम रस्तर तक की जाने वाली तीनांती को लिए जिलाधिकारी की अधिकता में गठित समिति द्वारा विभाग एवं आवश्यकता को अनुसर सुगम एवं दुर्गम होत्रों का उन्नीकरण अधिनियम द्वारा दिये गये मानकों को अनुसार किया जायेगा।

परिशिष्ट-२

(देखिए पारा ३ का तथा ५)

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्यों की तीनांती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, दिकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/मगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है वहाँ भण्डलायुक्त की अधिकाता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलावार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा। जिसमें जिला मुख्यालय, भगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र विकासखण्ड मुख्यालय, जाही पर सामान्य आपारमूल सुलिखायें यथा सड़क, विजली, पानी, विद्या, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य-स्थल १००० फॉट से अधिक ऊँचाई पर रिवत है वहाँ वर्ष की तीनांती को २ वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तीनांती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट-3

(देखिए धारा 3 का खण्ड (अ))

सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्बिको की तीनांती क्षेत्र जिसा मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका रथानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है उनके लिए विभाग की आवश्यकता की अनुरूप सुगम एवं दुर्गम ढोत्रों का विन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधाये गथा सङ्क, विजली, पानी, शिक्षा, विकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, वी सुविधाओं के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम ढोत्र का विन्हीकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो क्षणी-रथाल 7000 फॉट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ । वर्ष की तीनांती को 2 वर्ष की दुर्गम ढोत्र में तीनांती के सामान्य गाना जाएगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार बर्मा,
प्रमुख सचिव।

स्कूटर / रीचिको।